-129- 13

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अति आवश्यक
अनुपालना सुनिश्चित हो

क्रमांकः– प1(39) जविप्रा, उ.नि. (व्यय एवं बजट)/2006/डी -466 दिनांकः– 31-10-07

परिपत्र

विषयः– जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सिवाय चक राजस्व भूमि के विक्रय आगमों/आवंटन/नियमितीकरण से प्राप्त राशि की 20 प्रतिशत राशि राज्य सरकार को भेजे जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– कार्यालय आदेश क्रमांक प1(39) जविप्रा/उ.नि. (व्यय एवं बजट)/2006/डी–279 दिनॉक 21.06.07, डी– 339 दिनॉक 31.07.0 एवं डी–383 दिनॉक 12.09.07

राजस्थान सरकार, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना दिनांक 08.03.06 एवं 11.12.06 के क्रम में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सिवाय चक राजस्व भूमि के विक्रय आगमों/आवंटन/नियमितीकरण से प्राप्त राशि की 20 प्रतिशत राशि राज्य सरकार के निर्धारित मद में जमा करायी जानी है इस सम्बन्ध में सचिव जविप्रा के आदेश क्रमांक 70 दिनांक 25.01.07 के क्रम में विस्तृत निर्देश जारी किये जा चुके है। सन्दर्भित आदेश द्वारा सभी उपायुक्तों से वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 हेतु स्वीकृतियां प्राथमिकता से जारी करने की अपेक्षा की गई थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2007–08 की 20 प्रतिशत हिस्सा राशि भी प्रत्येक माह की 5 तारीख तक निर्धारित बजट मद में भी जोन स्तर से स्वीकृतियां जारी कर राशि जमा कराई जानी थी, किन्तु आज दिनांक तक उपरोक्त आदेश की क्रियान्विति नही की गई है।

जयपुर विकास आयुक्त महोदय द्वारा पत्रावली पर निर्देश दिये गये है कि समयबद्ध कार्यक्रम के तहत वर्ष 2005–06,2006–07 एवं 2007–08 की राज्य सरकार को प्रषित की जाने वाली 20 प्रतिशत हिस्सा राशि की सभी बकाया स्वीकृतिया दिनॉक 15.11.07 तक आवश्यक रूप से जारी करें एवं लेखा शाखा से चैक प्राप्त कर निर्धारित बजट मद मे जमा करावे अथवा जमा कराई गई राशि की सूचना प्राप्त करें उपरोक्त स्वीकृतियां 15.11.07 तक जारी नही होने की दशा मे राज्य सरकार को समय पर राशि जमा नही कराने अथवा कम जमा होने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

कृपया प्रत्येक स्वीकृतियों में वित्तिय वर्ष का उल्लेख अवश्य करें

सचिव

समस्त उपायुक्त जोन – जविप्रा, जयपुर

\\192.168.11.251\AccountCell\My Documents\Khanna JI\20% govt..doc